दिनांक 28/5/2016

पक्षकारान/वकीलान उपस्थित।

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अथवा मेरिट के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जायेगा।

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र कोरटा पर आयंदा दिनांक 20/6/2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

20/6/16 वादी मय वकीलवादी अनु./प्रति.उप.।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र कोरटा मे बरोज आज पेश हुई। प्रतिवादी संख्या ⑥ व ⑦ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत खारिज करने दावा का पेश किया गया। जो पत्रावली संलग्न है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित बिंदुओं पर प्रतिवादीगण

लगातार ---

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	की दलील एवं बहस को सुनातत् पश्चात पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। इसमें वादी पक्ष की ओर से बहस एवं दलील सुनने बाबत वादी पक्ष को बार-बार आवाजे दिलाई गई। बावजूद तामिल नोटिस के कोर्ट केम्प अहला से वा केन्द्र कोरटा में अनुपस्थित रहे हो एवं ना ही उनकी ओर से पैरवी करने बाबत अधिवक्ता उपस्थित हुए हो अतः यह पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल में शुमार व नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली	

Scanned by CamScanner